न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 93/2019 **दायरा दिनांक : 18.11.2019**

उनवान

1— भंवरीबाई आयु 50 साल पुत्री मंगली, जाति कोली, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— नैनगीबाई पुत्री मंगली, जाति काली, आयु 55 साल

3— मोहनीबाई आयु 47 साल बेवा देवीशंकर, जाति काली

निवासीगण खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

2— शंकरलाल वल्द बजरंगलाल, जाति गोस्वामी, आयु 50 साल निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री चरण सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अविनाश गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 26.12.2022**

26/12/

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 203/प्रा0पत्र/2012 निर्णय दिनांक 24.07.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ की खाता संख्या 261/356 की खसरा नम्बर 443 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 442 रकबा 5 बिस्वा कुल दो किता की 5 बीघा 10 बिस्वा आराजी अपीलांट वादी नम्बर 1 व 2 की माता व वादी नं. 3 की सास मंगलीबाई बेवा मंगला, जाति कोली, निवासी खानपुर के खाते में दर्ज होने की स्वीकृति हुई। जिसका मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 10.11.1983 है। तब से वादीगण अपीलांट का निर्विवाद रूप से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीगण अपीलांट उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारिणी है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 ने दिनांक 05.06.2012 को वाद में प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.07.2012 को आदेश पारित किया कि वादीगण व अप्रार्थी नम्बर 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ता–फैसला वाद ग्राम खानपुर की जमाबंदी सम्वत 2063–2066 की खतौनी संख्या 1 की खसरा नम्बर 442 रकबा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 443 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 किता की 5 बीघा 10 बिस्वा आराजी से प्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नम्बर 2 को बेदखल ना करें, ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

ऐसा करवाये उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्र संग्रहसार के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नम्बर 2 के खिलाफ धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत उक्त आराजी से बेदखली का आदेश तहसीलदार खानपुर द्वारा कर दिया था तथा प्रतिवादी नम्बर 2 को अतिक्रमी मानते हुए उसके खिलाफ धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। फिर भी प्रतिवादी/अपीलांट नम्बर 2 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मानकर अपीलांट/वादीगण व अप्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर विधि विरूद्ध कृत्य किया है, जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 442 रकबा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 443 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 किता की 5 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादीगण की माता व सास के खाते में दर्ज थी तथा वादीगण उक्त आराजी पर वैधानिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी नम्बर 2 के प्रार्थना पत्र पर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया जो नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थी नम्बर 2 स्वयं अतिक्रमी है तथा विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में सिवाय चक दर्ज है तथा अप्रार्थी नम्बर 2 को किसी प्रकार से अपरिमितक्षति नहीं हो रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2012 अपास्त किया जावे।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.02.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस. सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

8 सरकार की तरफ से श्री भरत यादव तहसीलदार, खानपुर व श्री संदीप सक्सैना पैरोकार सरकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 442 व 443 के सम्बन्ध में नामान्तकरण संख्या 865 पेश किया। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज हुई। सरकारी पैरोकार द्वारा यह कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति वर्ग के खातेदारी की भूमि थी तथा उसका हस्तानान्तरण अनुसूचित जाति से भिन्न वर्ग में होने से नामान्तरकरण संख्या 865 से सिवाय चक दर्ज हुई है। तहसीलदार खानपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उक्त वाद ग्रस्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है। तथा भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमी शंकरलाल पुत्र बजरंग लाल गोस्वामी निवासी खानपुर द्वारा दो टापरियां बनाई हुई है।

वादग्रस्त सिवायचक भूमि पर रेस्पोडेंट कम 2 शंकरलाल का कब्जा होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जाता रहा है।

9 हमने पत्रावली का अध्योपांत अवलोकन किया। बहस अपीलान्ट/ रेस्पाडेन्ट व पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.07.2012 से अतिकमी शंकरलाल को सिवायचक भूमि से बेदखल न करने के बारे में जो निषेधाज्ञा जारी की है, वह विधि विरूद्ध है। इस तरह के आदेश से सरकारी भूमि पर अतिकमण को बढ़ावा मिलेगा व सरकारी भूमियों पर कब्जा करने वालों के हौसले बुलन्द होगे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 24.07.2012 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश निरस्त किया जाकर, तहसीलदार

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

खानपुर को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम खानपुर की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 442 व 443 पर से विधिक प्रकिया अपनाते हुए अतिक्रमी को बेदखल कर कब्जा राज हक प्राप्त करें।

10 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2012 निरस्त किया जाता है ।

11 निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/12/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा